इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 200]　　भोपाल, सोमवार, दिनांक 5 अप्रैल 2021—चैत्र 15, शक 1943

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2021

क्र. एफ-1 (सी)4-2020-ई-चार.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 8 फरवरी, 2021 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य स्थानीय निधि संपरीक्षा विनियम, 1961 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य स्थानीय निधि संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-एक/दो का आयोजन दिनांक 15 मार्च 2021 से दिनांक 17 मार्च 2021 तक किये जाने हेतु अधिसूचना राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 8 फरवरी 2021 को प्रकाशित कराई गई थी.

2. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य स्थानीय निधि संपरीक्षा विनियम, 1961 की कंडिका 15 के परिप्रेक्ष्य में उक्त जारी आदेश/अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश राज्य स्थानीय निधि संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-एक/दो, दिनांक 15 मार्च 2021 से 17 मार्च 2021 के स्थान पर दिनांक 12 जुलाई 2021 से 14 जुलाई 2021 तक आयोजित की जावेगी.

3. उक्त परीक्षा वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 02 जुलाई 1961 में निहित दिशा-निर्देशों के अध्यधीन आयोजित की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार जैन, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.